दिनांक–23.04.2026 को सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में आगामी सुखाड एवं जलसंकट को देखते हुए सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों एवं मुख्यालय स्थित पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः–

1. सर्वप्रथम मुख्यालय स्थित सहायक अभियंताओं द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान पाए गए समस्याओं/त्रुटियों का विस्तृत रूप से समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान सहायक अभियंताओं द्वारा मुख्य रूप से निम्न प्रकार की समस्याओं/त्रुटियों को चिन्हित किया गयाः–
   - ➢ पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ निजी जमीन होने के कारण पाईप लाईन बिछाने में विवाद होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ नाला निर्माण एवं विद्युत पोल लगाने के क्रम में पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ सड़क चौड़ीकरण के दौरान पाईप लाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ संवेदकों द्वारा धीमी गति से एवं कम संख्या में मानव बल रखने कारण समस्याओं का निराकरण ससमय नहीं हो रहा है।
   - ➢ पंप ऑपरेटर का भुगतान लंबित होने के कारण पंप ऑपरेटर द्वारा योजनाओं का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है।
   - ➢ कई संवेदकों/एजेंसी द्वारा कार्य नहीं किया जाना।
   - ➢ नए बसावटों को छुटा टोला में नहीं लिए जाने के कारण वहां पर जलापूर्ति की समस्या उत्पन्न हो रही है।
   - ➢ कई योजनाओं में कम दवाब होने कारण अंतिम छोर तक जलापूर्ति बाधित है।
   - ➢ शिकायतकर्ता द्वारा एक से अधिक गृह जल संयोजन की मांग करना।
   - ➢ सड़क एवं बांध क्षेत्र में संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण–पत्र नहीं मिलने के कारण पाईपलाईन का कार्य बाधित है।

❖ समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, सुश्री कृति कुमारी के द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सीतामढ़ी, प्रखंड–बथनाहा के पंचायत–बथनाहा पश्चिम में योजनाओं के जांचोंपरांत बताया गया कि 500 अदद घरों में गृह जल संयोजन की आवश्यकता है। साथ ही 800 अदद घरों में जलापूर्ति बाधित है। बथनाहा पश्चिम PWS से जलापूर्ति असंतोषजनक बतायी गयी। जलापूर्ति योजना के वितरण प्रणाली में कई जगहों पर लीकेज की समस्या एवं जलापूर्ति बाधित बतायी गयी। प्रखंड–डुमरा के विशनपुर पंचायत में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित बतायी गयी। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के कारण संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्रशाखा–05/11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। साथ ही उक्त योजनाओं से सभी घरों में शीघ्र जलापूर्ति बहाल करने निदेश दिया

गया। इस संबंध में मुख्य अभियंता (यांत्रिक) को उक्त योजनाओं की जांच कर प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः— मुख्य अभियंता (यांत्रिक)/अभियंता प्रमुख सह—विशेष सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/कार्यपालक अभियंता, सीतामढ़ी।

- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, सुश्री दृष्टि श्रीवास्तव से क्षेत्र भ्रमण के उपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा के समस्याओं के संबंध में पृच्छा की गई। इनके द्वारा बताया गया कि प्रखंड—बहेरी एवं बेनीपुर में CGRC की अधिक शिकायतें है। जिसका कारण सड़क चौड़ीकरण/नाला निर्माण/विद्युत पोल लगाने के क्रम में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होना, छूटे हुए टोलों में कार्य की प्रगति धीमी होना, संवेदक द्वारा मरम्मति दल की संख्या कम रखा जाना, पंप ऑपरेटर का मानेदय भुगतान नहीं होना, जमीनी विवाद के कारण पाईपलाईन बिछाने नहीं देना, वार्ड सदस्य के आपसी विवाद, शिकायतकर्ता द्वारा एक से अधिक गृह जल संयोजन की मांग करना एवं नए बसावटों का छूटे हुए टोलों में नहीं लिए जाने के कारण शिकायतों की संख्या अधिक है। उक्त के संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान एवं जमीन/आपसी विवादों का निराकरण कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे। संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसे अनुश्रवण करते हुए कार्यान्वित करायेंगे।

अनुपालनः— संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, दरभंगा ।

- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, श्री असीत कुमार से क्षेत्र भ्रमण के उपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी एवं झंझारपुर के समस्याओं के संबंध में पृच्छा की गई। इनके द्वारा बताया गया कि कई योजनाओं में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने, पंप ऑपरेटर का मानेदय भुगतान नहीं होने, जमीनी विवाद के कारण पाईपलाईन बिछाने नहीं देना, वार्ड सदस्य के आपसी विवाद के कारण एवं नए बसावटों का छूटे हुए टोलों में नहीं लिए जाने के कारण शिकायतों की संख्या ज्यादा है। साथ ही छूटे हुए टोलों में कार्य प्रगति धीमी बतायी गयी। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी/जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान एवं जमीन/आपसी विवादों का निराकरण कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति चालू करें। साथ ही छूटे हुए टोलों में कार्यो को यथा शीघ्र पूर्ण कर जलापूर्ति बहाल करना सूनिश्चित करें। संबंधित अधीक्षण अभियंता स्वयं इसे अनुश्रवण करते हुए कार्यान्वित करायेंगे।

अनुपालनः— संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, मधुबनी एवं झंझारपुर।

- समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, सुश्री रितुल रंजन से क्षेत्र भ्रमण के उपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर के समस्याओं के संबंध में पृच्छा की गई। इनके द्वारा बताया गया कि रोसड़ा से बहेड़ी जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण के कारण कतिपय प्रखंडों में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। बारिसनगर पूर्व PWS लगभग एक वर्ष से बंद बतायी गयी एवं योजना का विद्युत कनेक्शन भी कटा हुआ है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि समस्याओं का निराकरण कराते हुए यथाशीघ्र जलापूर्ति सुनिश्चित करेंगे। वारिसनगर पूर्व PWS से इतनी लंबी अवधि से जलापूर्ति

बाधित रहने हेतु प्रशाखा–05/11 से कार्यपालक अभियंता के साथ ही अधीक्षण अभियंता से भी स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया। PWS/SVS का अनुश्रवण/क्रियाशीलता की जवाबदेही अधीक्षण अभियंता को दी गई है।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष–सचिव (मु0) के प्रावैधिक सचिव/संबंधित अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, समस्तीपुर।

❖ समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, श्री हर्ष प्रताप से क्षेत्र भ्रमण के उपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के समस्याओं के संबंध में पृच्छा की गई। इनके द्वारा बताया गया कि कार्यकारी एजेंसी/संवेदक ब्रजेश कुमार, राजेश कुमार, रेखा कुमारी एवं ऐवीयन के द्वारा कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरती जा रही है, जिसके कारण शिकायतों के ससमय निष्पादन एवं योजनाओं के संचालन करने में समस्या आती है। इस संबंध में संबंधित संवेदक को एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने एवं क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना प्रक्षेत्र, पटना को उक्त एजेंसियों के द्वारा कराए गए कार्यों का निरीक्षण कर संबंधित पदाधिकारी/संवेदक पर कार्रवाई करने हेतु स्पष्ट अनुशंसा मुख्यालय को समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया।

अनुपालनः– क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना।

❖ समीक्षा के क्रम में संज्ञान में आया कि सहायक अभियंता, श्री मुकेश कुमार द्वारा लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, भागलपुर पश्चिमी/पूर्वी में योजनाओं की जांच कम संख्या में की गई है, जिस कारण उन्हें कड़ी चेतावनी देते हुए भविष्य में अपनी कार्य पद्धति सुधारने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– सहायक अभियंता (मु0)।

❖ समीक्षा के क्रम में सहायक अभियंता, सौरभ गुप्ता से क्षेत्र भ्रमण के उपरांत लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, खगड़िया में CGRC शिकायतों के संबंध में पृच्छा की गई। इनके द्वारा बताया गया कि संवेदक एवीयन के द्वारा कतिपय योजनाओं के कार्यान्वयन, परिचालन एवं रख–रखाव ससमय नहीं किया जा रहा है। इन पर एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही उक्त प्रमंडल में कार्यपालक अभियंता के नहीं रहने के कारण कार्यों के संचालन में समस्या आ रही है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अवर प्रमंडल, खगड़िया दैनिक कार्यों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः– सहायक अभियंता, लो0 स्वा0 अ0 प्रमंडल, खगड़िया।

❖ सभी सहायक अभियंता (मु0) को कड़ी चेतावनी देते हुए यह निदेश दिया गया कि वे नियमित रूप से योजनाओं का निरीक्षण करेंगे एवं यथासंभव MIS मोबाईल एप्प के माध्यम से अपना निरीक्षण प्रतिवेदन अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। इसमें किसी प्रकार की शिथिलता अवांछनीय होगी।

अनुपालनः– सभी सहायक अभियंता (मु0)।

2. <u>CGRC:-</u>

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मोतीपुर में 15 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या 415 है, जिसमें कार्यपालक अभियंता, मोतीपुर के द्वारा बताया

गया कि लगभग 68 शिकायतें पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान से संबंधित है, 30 शिकायतें PRD के छूटे हुए टोले से संबंधित है जहाँ कार्य प्रगति पर है, 14 शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित है एवं 14 शिकायतें विद्युत विसंगति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अन्य मामलें नए पाईपलाईन बिछाने, गृह जल संयोजन इत्यादि से संबंधित है। साथ ही इनके द्वारा बताया गया कि कार्य नहीं करने वाले संवेदकों को डिबार किया गया है। संवेदकों को 07 दिनों में कार्य में प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया है। यदि एक सप्ताह में कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं आती है, तो एकरारनामा में निहित प्रावधान के तहत कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि अगले एक सप्ताह में CGRC शिकायतों का निराकरण कराए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, मोतीपुर।

❖ कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, समस्तीपुर बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण CGRC के शिकायतों की समीक्षा नहीं किया जा सका। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को प्रशाखा–05 / 11 से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया गया।

अनुपालनः– अभियंता प्रमुख सह–विशेष सचिव (मु0) के प्रावैद्यिक सचिव।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा में 15 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या 333 है। इस संबंध में कार्यपालक अभियंता, दरभंगा के द्वारा बताया गया कि 45 शिकायतें PRD के छूटे हुए टोले से संबंधित है, जहाँ कार्य प्रगति पर है, 46 शिकायतें पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान से संबंधित है, 130 शिकायतों में नए पाईपलाईन बिछाने की आवश्यकता है एवं अन्य मामले नए बसावटों में छूटे हुए टोलों, विवाद तथा नाला बनाने के क्रम में पाईपलाईन क्षतिग्रस्त से संबंधित है। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी / जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निदेशित किया गया कि अगले एक सप्ताह में CGRC शिकायतों का निराकरण कराए, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, दरभंगा।

❖ समीक्षा के क्रम में पाया गया कि लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में 15 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों की संख्या 169 पाई गई। इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया कि 77 शिकायतें पंप ऑपरेटर के मानदेय भुगतान से संबंधित है, 18 शिकायतें PRD के छूटे हुए टोले से संबंधित है जहाँ कार्य प्रगति पर है, 04 शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित है एवं 01 शिकायत विद्युत विसंगति से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अन्य मामले पाईपलाईन बिछाने, गृह जल संयोजन से संबंधित है। संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी / जिला पंचायती राज पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पंप ऑपरेटर का मानदेय भुगतान कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अन्य शिकायतों का निराकरण शीघ्र कराए।

अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता, मुजफ्फरपुर।

3. अन्यान्यः—

- समीक्षा के क्रम में सभी कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया गया कि नए बसावटों में जलापूर्ति हेतु यथासंभव Deviation/Variation के माध्यम से कार्य पूर्ण कराए। यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत प्रस्ताव यथाशीघ्र मुख्यालय को उपलब्ध कराएं।

अनुपालनः— सभी कार्यपालक अभियंता।

- सभी कार्यपालक को निदेश दिया गया, जिन संवेदको द्वारा कार्य में रूचि नहीं लिया जा रहा एवं लापरवाही बराती जा रही। ऐसे संवेदको द्वारा संविदात्मक दायित्व का निर्वहन नहीं करने के कारण उन्हें Debar/Rescind /Blacklist की कार्रवाई करना सूनिश्चित करें।

अनुपालनः— सभी कार्यपालक अभियंता।

- ऐसी योजनाएं जहाँ पाईपलाईन क्षतिग्रस्त होने के कारण जलापूर्ति बाधित है, इन योजनाओं से कार्य कराते हुए जलापूर्ति बहाल करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालनः— सभी कार्यपालक अभियंता।

- CGRC शिकायतों के शीघ्र निराकरण हेतु IT Cell को यह निदेश दिया गया कि उक्त पोर्टल से संबंधित लॉग—इन आईडी सभी जिलापदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय पदाधिकारियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करने हेतु App डेवलप करना सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालनः— IT मैनेजर।

- भीषण गर्मी को देखते हुए यह निदेश दिया गया कि जिला पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर सहायक अभियंता (मु0) को यथासंभव जिला स्थित अतिथि गृह में आवासन की व्यवस्था की जाय।
- मुख्यालय स्तर से अंचलवार अनुश्रवण हेतु नोडल पदाधिकारी नामित करने के लिए अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मु0) को निदेशित किया गया।

अनुपालनः—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मु0)।

- मुख्यालय स्तर पर कार्य दिवस के दिनों में पाँच—पाँच प्रमंडलों की समीक्षात्मक बैठक रखने हेतु निदेश दिया गया, जिसमें सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाए।

अनुपालनः—अभियंता प्रमुख—सह—विशेष सचिव (मु0)।

बैठक में प्राप्त सभी निदेशों का अनुपालन ससमय करने हेतु सभी उपस्थित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया गया।

अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही संपन्न की गई।

(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांकः– 14/व्ब्ब्क–104/25–399 दिनांक– 18/5/26

प्रतिलिपिः– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रक्षेत्र, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण अंचल/सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित), लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, बिहार / सभी सहायक यांत्रिक अभियंता–सह नोडल पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक अवर प्रमंडल, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/व्ब्ब्क–104/25–399 दिनांक– 18/5/26

प्रतिलिपिः– अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मु0/का0प्र0)/अपर सचिव/सभी मुख्य अभियंता (उत्तर बिहार/दक्षिण बिहार/यांत्रिक/अनुश्रवण)/अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव(मु0) के प्रावैधिक सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी/बजट पदाधिकारी/आइटी मैनेजर/संबंधित सहायक अभियंता/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)

ज्ञापांकः– 14/व्ब्ब्क–104/25–399 दिनांक–18/5/26

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव /विशेष सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(नित्यानन्द प्रसाद)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव
(मुख्यालय)